कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत

नियम व शर्ते

1. निविदा प्रपत्र के साथ 02 प्रतिशत धरोहर केवल बैंक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/इंटरनेट बैंकिग के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागपत के पदनाम से बन्धक जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को अंकन 10/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो हलफनामा/वचनपत्र देना होगा तथा 100/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर निकाय की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करना होगा।
3. शासनादेश सं0–24वीआई0पी0(1)/नौ–5–17–120 बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के अनुपालन में ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव करना होगा।
4. ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत की 5 प्रतिशत धनराशि पर फार्मेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के पश्चात् निर्माण कार्य सड़क के समुचित रखरखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
5. समस्त ठेकेदारों/फर्मो के द्वारा शासनादेश संख्या–8/2017/836/23–7–17–176 (सा0)/06 लोक निर्माण विभाग अनुभाग–7 दिनांक 08.06.2017 का अनुपालन किया जायेगा।
6. शासनादेश सं0 0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारो पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
7. नगर पालिका परिषद, बागपत में निर्माण कार्यो/आपूर्ति को करने के लिए तथा ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण होना आवश्यक है।
8. यदि ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण समाप्त हो गया है तब निविदा सूचना के प्रकाशन के पूर्व का नवीनीकरण मान्य होगा।
9. किसी भी निविदा सूचना के प्रकाशन के बाद ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण नही किया जायेगा।
10. निविदादाता को सैल्स टैक्स/इन्कम टैक्स में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा टिन नम्बर/पैन/जी0एस0टी0 नम्बर सलंग्न करना अनिवार्य है।

11. ठेकेदार/फर्म के पास जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया वैध हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
12. निर्धारित जमानत राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी के नाम बंधक निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।
13. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
14. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य शुरू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता को सूचना देनी अनिवार्य होगी।
15. समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता व उत्तम प्रकार की सामग्री द्वारा ही किया जायेगा।
16. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य से संबंधित रेखाचित्र डिजाईन–प्रविशिष्टयों आदि का भली प्रकार अवलोकन एवं ज्ञान प्राप्त कर लेगा तथा कार्य संबंधित दिये गये निर्देशो का यथावत पालन करेगा।
17. ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण कार्य अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद, बागपत की रेखरेख में करना होगा।
18. ठेकेदार/फर्म कार्य को अनुमोदित एवं निर्धारित कोटि के सामग्री सा0 नि0 विभाग विस्तृत विशिष्टियों आदि के अनुसार नियम अवधि में संतोषजनक रूप से सम्पन्न करेगा।
19. ठेकेदार/फर्म कार्य के दौरान कार्य स्थल पर स्वयं रहेगा या अपने प्रबंधक को कार्य स्थल पर रखेगा जिससे कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश यथा समय उसे दिया जा सके। ठेकेदार/फर्म ऐसे नियुक्त किये प्रबंधक का सूचना पालिका कार्यालय में लिखित रूप से देगा।
20. कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म पालिका कार्यालय को लिखित में सूचना देगा तथा कार्य स्थल से समाप्त मलवा आदि अपने व्यय से स्वयं हटायेगा।
21. ठेकेदार/फर्म कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण, यंत्र, सीढी, रोड रोलर, पानी, मिक्सर आदि का प्रबंध अपने व्यय से स्वयं करगा। सुरक्षात्मक व्यवस्था हेतु सूचना पट, लालटेन आदि की व्यवस्था भी स्वयं अपने व्यय से करेगा तथा माप तौल करने हेतु आवश्यक मजदूर की भी स्वयं व्यवस्था करेगा।
22. ठेकेदार/फर्म को कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त करना होगा। अकारण अवधि नही बढाई जायेगी। ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य नियत अवधि में समाप्त न करने की दशा में पालिका कार्यालय को अवशेष कार्य के प्रतिशत के बराबर अर्थ दण्ड प्रतिदिन की दर से ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
23. ठेकेदार/फर्म अपरिहार्य परिस्थितिवश अवरोध उत्पन्न होने के कारण नियम अवधि से एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी से समय बढाने की प्रार्थना कर सकता है, जिसे अधोहस्ताक्षरी उचित प्रतीत होने पर स्वीकार कर लेगा।
24. ठेकेदार/फर्म कार्य में उपयोग हेतु जो भी सामग्री कार्य स्थल पर लायेगा, वह पालिका कार्यालय की सम्पत्ति समझी जायेगी तथा बिना लिखित स्वीकृति के कार्य स्थल से नही हटायी जायेगी। तथा जिसे आवश्यकता पडने पर सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया जायेगा।
25. ठेकेदार/फर्म को कार्य को ढकने अथवा समाप्त करने से पूर्व कम से कम 03 दिन पूर्व अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से माप तौल करने के लिए सूचना देगा, माप तौल करने के बाद ही ढकेगा अथवा समाप्त करेगा यदि उसके ऐसा न करने के कारण कार्य की जांच

अथवा माप तौल के लिए कार्य को उखाडा गया तो इसमें जो भी व्यय होगा ठेकेदार/फर्म को वहन करना होगा।

26. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कार्य को स्वीकृत प्राक्कलन की मात्रा अथवा संख्या में न्यूनाधिक या मानचित्र में संशोधन कर लें तथा ऐसे न्यूनाधिक या संशोधन के कारण ठेकेदार/फर्म किसी लाभ या हानि का प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार न होगा किन्तु जो सामान ठेकेदार/फर्म द्वारा परिवर्तन की सूचना से पूर्व कार्य स्थल पर एकत्रित कर चुका होगा तथा जिसकी उपरोक्त कारणो से आवश्यकता न रहे तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसका मूल बाजार भाव पर देकर सामान अपने अधिकार में कर लेगा।
27. अधोहस्ताक्षरी की ओर से जब तक लिखित आदेश न हो तो ठेकेदार/फर्म को स्वीकृत प्राक्कलन प्रारूप एवं रेखाचित्र के अनुसार कार्य करना होगा। प्राक्कजन में वर्णित आईटमो के अतिरिक्त यदि अन्य कोई आईटम अधोहस्ताक्षरी द्वारा ठेकेदार/फर्म से कराता है तो उसका भुगतान सा0नि0 विभाग के शैडयूल ऑफ रेट (दर अनुसूचि) को तत्कालीन दर अथवा तत्कालीन दर अनुसूची आधारित विश्लेषित तत्कालीन मार्किट रेट में जो कम होगा पर किया जायेगा।
28. यदि कार्य निर्धारित मानक के स्तर का न हो तो प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अभियन्ता की संस्तुति के अनुसार रेट कम करके भुगतान कर दे, इसमें ठेकेदार/फर्म को कोई आपत्ति नही होगी।
29. यदि कार्य की अवधि में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य के प्रयोग हेतु निम्न श्रेणी या अनुमोदित मानक से निम्न स्तर की सामग्री कार्य स्थल पर लायी जाती है तो ठेकेदार/फर्म को उसे परिषद के अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य स्थल से हटानी होगी। न हटाने की दशा में सक्षम अधिकारी अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री को स्वयं हटावकर ठेकेदार/फर्म के दायित्व पर उचित स्थन पर रखवा दे तथा व्यय ठेकेदार/फर्म से वसूल करने का अधिकार होगा।
30. ठेकेदार/फर्म की असावधानी या अकुशल मजूदर अथवा निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग के कारण यदि कार्य में कोई खराबी प्रतीत होती है तो ठेकेदार/फर्म को कार्य खराब होने के सात दिन के अन्दर उसे अपने व्यय से स्वयं ठीक करायेगा यदि ठेकेदार/फर्म उक्त खराबी को ठीक नही कराता है तो समक्ष अधिकारी को यह अधिकार होगा कि विभागीय या अन्य किसी एजेन्सी से ठीक करा ले एवं समस्त व्यय ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ले।
31. कार्य के चलते रहते निर्माण कार्य का देयक निर्धारित मुद्रित प्रपत्र पर ठेकेदार/फर्म मासिक रूप से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तदनुसार अवर अभियन्ता द्वारा विधिवत माप कर, गणना की जांच एवं आवश्यक कटौति आदि करके भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
32. सीमेन्ट,तारकोल,ईटे आदि सामान के लिए स्टोर का प्रंबध ठेकेदार/फर्म को नकद/बिल से कटौती के आधार पर अनुमोदित दर से पालिका कार्यालय के गोदाम पर दिया जायेगा। बचा हुआ शेष सामान सही हालात में वापिस करना होगा ऐसा न करने की दशा में दुगनी कीमत ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ली जायेगी।
33. ठेकेदार/फर्म कार्य या कार्य के किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को समक्ष अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना सबलेट नही करेगा।
34. जिस कार्य को सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय अनुदान के अन्तर्गत कराया जायेगा, उसके संबंध में ठेकेदार/फर्म को शासकीय आदेशो का पालन करना होगा।

35. ठेकेदार/फर्म उन समस्त दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति देगा, जो किसी व्यक्ति की ओर से चाहे वह कारीगर हो या न हो, हानि पहुँच जाने के कारण किये जायेगे। नगर पालिका किन्ही ऐसे दावे/दावो के विरूद्ध श्रमक्षति पूर्ति एक्ट 1923 की धारा (12) की उपधारा (1) के अनुसार या उसके संशाधन के अनुसार किसी न्यायालय में झगडने के लिए बाध्य न होगा, जब तक कि ठेकेदार इसके लिए लिखित प्रार्थना पत्र न दे और वांछित धन पालिका कोष में पहले जमा न कर दे। जो नगर पालिका को अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए यथेष्ठ हो।
36. सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसा रूपया जो उपरोक्त या उसके विवेकानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में देना पडे, तो वह ठेकेदार/फर्म को दी जाने वाली धनराशि से जो अनुबंध द्वारा या किसी अन्य हिसाब से ठेकेदार/फर्म की ओर निकलता है, काटकर प्राप्त कर लें।
37. यदि ठेकेदार/फर्म उपरोकत धाराओ का पालन नही करता है तो समक्ष अधिकारी को अनुबंध/निविदा को निरस्त करने तथा इस अपूर्ण कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करा लेने का अधिकर होगा। इस प्रकार एजेन्सी से कार्य कराने में जो व्यय होगा, उसे ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत राशि से वसूल करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
38. समय–समय पर प्राप्त होने वाले शासनादेशो के अनुपालन में ठेकेदार/फर्म को अपने द्वारा किये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता/रिपेयरिंग करनी अनिवार्य होगी।
39. ठेकेदार/फर्म के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य/लायी गयी सामग्री के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना के लिए नगर पालिका परिषद, बागपत जिम्मेदार नही होगी इसके लिए समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
40. ठेकेदार/फर्म के द्वारा नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा लागू की गई उपविधि में उल्लिखित शर्तो के अधीन कार्य कराना होगा।
41. निविदा सूचना, नगर पालिका परिषद, बागपत की वेबसाईट http/nppbaghpat.com पर भी देखी जा सकती है। तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस व समय में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

लिपिक	अवर अभियन्ता	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
न0पा0परि0 बागपत	न0पा0परि0 बागपत	न0पा0परि0 बागपत	न0पा0परि0 बागपत